2012/00029

मिसल नं0 8/2012 (प्रा0 पत्र आवंटन निरस्तीकरण) सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा बनाम गोरया, रामा पुत्र बिरधा जाति भील सा0 मन्दरगढ तहसील लाडपुरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18-12-19	पेरोकार सरकार उपस्थित । पत्रावली का अवलोकन किया गया । तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत कर आवंटन सलाहकार समिति उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा अप्राथी गोरया, रामा पुत्र बिरधा जाति भी निवासी मन्दरगढ तहसील लाडपुरा को ग्राम मन्दरगढ की ख0 नं0 345 रकबा 3 बिस्वा भूमि आवंटित की गई थी जिसके वर्तमान ख0 नं0 322 रकबा 0.02 हैक्टर कायम हुए है । आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नही किये जाने किये जाने से अप्रार्थी को आंवटित भूमि का आवंटन निरस्त करने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र दि0 11.06.2011 से प्रस्तुत किया है । प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई । तामील कुनिन्दा द्वारा अवगत कराया कि गोरया, रामा फोत हो गये है । अप्रार्थी के कायम मुकामान की सूची प्राप्त करने हेतु इस न्यायालय के पत्र क्रमांक/रीडर/एडीएम/14/2814 दि0 05.11.2014,488 दि0 24.02.2015,1591 दि0 07.07.2015,2250 दि0 05.10.2015 व अ0 शा0 पत्रांक 65 दि0 08.01.2016,689 दि0 28.03.2016,1728 दि0 12.07.2016,2775 दि0 05.12.2016, से लिखे जाने पर नायब तहसीलदार मण्डाना के पत्र क्रमांक/एलआर/11 दि0 19.01.2017 से कायम मुकामान की अपूर्ण सूचना भिजवाई है । जिसके आधार पर कायम मुकामान की तलबी करने पर कायम मुकामान अंकित पते पर निवास नही करना बताया है। जिससे मृतक के कायम मुकामान की तामील नही हो पा रही है । अतः तहसीलदार लाडपूरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस निर्देश के साथ खारिज किया जाता है कि ~~आम~~ ~~इस~~ आवंटी मृतक के सभी कायम मुकामान अंकित करते हुए सही पता अंकित करते हुए पुनः नये सिरे से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें । मूल ही मय दस्तावेज तहसीलदार लाडपुरा को लौटाया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो । अति0 जिला कलक्टर,, कोटा कोटा	